न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./34/2020/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. जालमसिंह पुत्र श्यामसिंह, उम्र 40 वर्ष 2. खूमसिंह पुत्र श्यामसिंह, उम्र 38 वर्ष 3. वीरसिंह पुत्र तिलसिंह, उम्र 70 वर्ष 4. नगसिंह पुत्र तिलसिंह, उम्र 63 वर्ष 5. बलवंतसिंह पुत्र वीरसिंह, उम्र 42 वर्ष 6. राजूसिंह पुत्र वीरसिंह, उम्र 33 वर्ष 7. रतनसिंह पुत्र नगसिंह, उम्र 32 वर्ष, जातियान राजपूत, निवासीयान बाड़मेर मगरा, ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा, तह. व जिला बाड़मेर।	1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर। 2. श्रीमान तहसीलदार, बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन क्रमांक 1593 दिनांक 18.07.2005 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा अपीलांट की ओर से।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पों. की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांकः–16.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बाड़मेर मगरा, ग्राम पंचायत बाड़मेर आगोर हाल ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 32 रकबा 36.12 बीघा पूर्व रकबा 41.12 बीघा, किस्म गैर मुमकिन मगरी की भूमि को तहसीलदार बाड़मेर द्वारा तैयार प्रस्ताव पर उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा आदेश क्रमांक 1593, दिनांक 18.07.2005 के द्वारा 36.12 बीघा भूमि की किस्म को संपरिवर्तन करते हुए गैर मुमकिन मगरी से गैर मुमकिन गोचर हेतु आरक्षित करने का आदेश पारित किया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। जिसके व्यथित होकर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ताओं की पत्रावली पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि मौजा बाड़मेर मगरा, ग्राम पंचायत बाड़मेर आगोर हाल ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 32 रकबा 36.12 बीघा पूर्व रकबा 41.12 बीघा, किस्म गैर मुमकिन मगरी की भूमि को तहसीलदार बाड़मेर द्वारा तैयार प्रस्ताव पर उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा आदेश क्रमांक 1593, दिनांक 18.07.2005 के द्वारा 36.12 बीघा भूमि की किस्म को संपरिवर्तन करते हुए गैर मुमकिन मगरी से गैर मुमकिन गोचर हेतु आरक्षित करने का आदेश पारित किया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांट लगातरा हितग्राही एवं संबंधित रहे है। किन्तु रेस्पों. ने अपीलांट सहित गांव वालों के समक्ष प्रस्ताव की घोषणा किए बिना ही छिपे तौर से आलोच्य आदेश पारित करवाया है। जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता उक्त आदेश से प्रभावित होने से तृतीय पक्षकार के रूप में अपील प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् आवेदन मय शमथ–पत्र संलग्न पेश कर निवेदन है कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का आदेश प्रदान करावे।

उत्तरदाता के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट मूल आवेदन में पक्षकार नहीं है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध, पीड़ित एवं आवश्यक पक्षकार कैसे है स्पष्ट नहीं किया गया। क्योंकि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट केवल अंतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज–काश्त रहा है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक/गौचर दर्ज है। जो कि राजकीय भूमि है। जिसमें किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। अपीलांट को अपनी अपील अपने पैरों पर खड़े रह कर साबित करनी चाहिये। उक्तानुसार हस्तगत प्रकरण में विधि विरूद्ध आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। तत्समय अपीलकर्ता द्वारा आलोच्य आवेदन में पक्षकार बनने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस कारण अपीलांट उक्त आलोच्य आदेश की अपील करने का अधिकारी नहीं है। अपीलकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। न ही सुनवाई हेतु कोई प्रयास किया गया। अपीलकर्ता अपीलाधीन आराजी का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खातेदार नहीं है तथा न ही अपीलकर्ता का अपीलाधीन आराज़ी में कोई हित या अधिकार है। इसलिये हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का कोई हक शेष नहीं रहा है। किन्तु अपीलांटगण द्वारा दुरभि संधि करके हस्तगत अपील पेश की गई है जिसका कोई औचित्य नहीं है। उक्तानुसार हस्तगत अपील विधि द्वारा बाधित होने से पोषणीय नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। तत्समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित प्रदान अवसर किया गया था। इसलिए सुनवाई के अवसर संबंधित अपीलांट के उक्त कथनों का कोई सार नहीं है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज करते हुए अपील को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की धारा 96 सी.पी.सी. अपील अनुमति पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि तत्समय हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन गौचर/राजकीय भूमि दर्ज थी। वर्तमान में भी हस्तगत आराजी गैर मुमकिन गौचर/राजकीय भूमि दर्ज है। जिसमें प्रथम दृष्टया अपीलांट अपना हित सांबित करने में असफल रहा है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील द्वारा राजकीय भूमि के संबंध में अनुतोष चाहा गया है जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। केवल अतिक्रमी की हैसियत से राजकीय भूमि पर हक–अधिकार नहीं जताया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन से अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार साबित नहीं होता है। जिससे अपील का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अपीलांट द्वारा विधि अनुसार नहीं होने से हस्तगत अपील चलने योग्य नहीं ठहरती है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. मय अपील विधि द्वारा बाधित एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

लिहाजा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. मय अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

16/10/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर